न्यायालय अपील प्राधिकरण (जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारीः— गौरव अग्रवाल, आई.ए.एस.

भरण पोषण अपील संख्याः 15/2022

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थीगण
1— बालूराम पुत्र आसूराम निवासी करणीपुरा, तहसील औसियां, जिला जोधपुर		1—ओमाराम पुत्र बालूराम 2—सोहनराम पुत्र बालूराम 3—राजूराम पुत्र बालूराम निवासीगण करणीपुरा, तहसील औसियां, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 16, माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 04.07.2022 जो उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) ओसियां द्वारा प्रकरण संख्या 01/2022 में पारित निर्णय दिनांक 02.02.2022 आदेश के विरूद्ध रिव्यू प्रार्थना पत्र बालूराम बनाम ओमारम व अन्य में पारित किया गया।

उपस्थितिः—

1—अपीलार्थी उपस्थित।
2—प्रत्यर्थीपक्ष अनुपस्थित।

आदेश

अपील अपीलार्थी के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपीलार्थी/प्रार्थी की ओर से उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) ओसियां के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 सपठित धारा 23, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 बाबत अपीलार्थी की जायदाद भूमि खसरा नम्बर 2196/3 वर्तमान खसरा नं. 2655/2196 रकबा 03 बीघा व उक्त भूमि में निर्मित आवास को रेस्पोडेण्ट/अप्रार्थीपक्ष को हटाकर कब्जा दिलवाने एवं भरण पोषण राशि दिलाने हेतु प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) ओसियां द्वारा आदेश दिनांक 02.02.2022 को पारित किया गया, जिसमें प्रार्थी/अपीलार्थी को भरण पोषण के रूप में प्रतिमाह अप्रार्थी/प्रत्यर्थी सं. 1—3 द्वारा 3000/— रूपये (तीन हजार रूपये) देने, मारपीट न करने एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने का आदेशित किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर प्रार्थी/अपीलार्थी की ओर से उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) ओसियां के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 सपठित धारा 23, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.09.17 18:50:52 IST
Reason: SelfAttested

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)

का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 बाबत अपीलार्थी की उक्त वर्णित आवासीय जायदाद भूमि मय आवास को अप्रार्थी/प्रत्यर्थीपक्ष से मुक्त करवाने व उपखण्ड अधिकरण द्वारा आदेशित भरण पोषण राशि से संतुष्ट नही होने का प्रस्तुत करने पर उपखण्ड अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी) ओसियां द्वारा सुनवाई कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.07.2022 को पारित किया गया, जिसमें प्रार्थी/अपीलार्थी को भरण पोषण के रूप में प्रतिमाह अप्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या 1–3 द्वारा 7500/– रूपये (प्रत्येक द्वारा 2500/–रूपये) का भुगतान करने को आदेशित किया गया। उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज (15/2022) रजिस्टर कर प्रत्यर्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये व अधीनस्थ अधिकरण का मूल अभिलेख मंगवाया गया। प्रत्यर्थीगण 1 व 3 के नोटिस दिनांक 01.03.2023 के बाद तामील व प्रत्यर्थी 2 को जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित किया गया तथा अधीनस्थ अधिकरण से मूल अभिलेख प्राप्त हो चुका है। रेस्पोडेण्ट पक्ष काफी बार अनुपस्थित रहे व अपीलार्थी दिनांक 06.03.2024 को उपस्थित हुए तथा उनकी इकतरफा बहस सुनी गई।

अपीलार्थी ने अपनी बहस में बतलाया कि रेस्पो. संख्या 1 से 3 पुत्र है तथा अपीलार्थी ने अधीनस्थ अधिकरण (उपखण्ड अधिकारी, ओसियां) के समक्ष माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत उसकी स्वअर्जित जायदाद भूमि खसरा नं. 2196/3 वर्तमान खसरा नं. 2655/2196 रकबा 3 बीघा व उसमें निर्मित आवास से अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण से मुक्त करवाने का आवेदन करने के उपरांत भी अपीलार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान नही कर विधिक भूल की है। बहस में यह भी कहा कि अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण को प्रतिमाह भरण पोषण की राशि देने का आदेश दिया गया उसकी भी रेस्पोडेण्ट पक्ष द्वारा नियमित रूप से पालना नही की गई अतः अपील स्वीकर करते हुए अपीलार्थी की स्वअर्जित जायदाद से प्रत्यर्थीगण से मुक्त करवाने का आदेश प्रदान किया जाय व अधीनस्थ अधिकरण द्वारा निर्धारित भरण पोषण राशि का भुगतान नियमित रूप से कराने बाबत आवश्यक निर्देश भी दिया जाय।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अधिकरण से प्राप्त मूल अभिलेख का भी अध्ययन किया। अपीलार्थी पक्ष द्वारा अपील में मुख्य रूप से धारा 23 बाबत उसकी जायदाद भूमि खसरा नं. 2196/3 वर्तमान खसरा नं. 2655/2196 रकबा 3 बीघा व उसमें निर्मित आवास को अप्रार्थीपक्ष/प्रत्यर्थीपक्ष से मुक्त कराने/खाली कराने की प्रार्थना की गई। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 (1) में उल्लेख किया कि "जहां कोई भी वरिष्ठ नागरिक, जिसने इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् दान के जरिये या अन्यथा अपनी सम्पति किसी ऐसी शर्त के अध्यधीन अन्तरित की हो कि अन्तरणी अन्तरक को मूल सुख–सुविधाएं और भौतिक आवश्यकताएं प्रदान करेगा, में असफल होता है या मना कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.17 18:51:52 IST
Reason: Self-Attested

अपील अधिकरण
जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर (ग्रामीण)

देता है, तो सम्पति का उक्त अंतरण कपट या छल द्वारा या अनावश्यक प्रभाव के अधीन किया हुआ माना जावेगा और अन्तरक के विकल्प पर अधिकरण द्वारा व्यर्थ घोषित किया जायेगा।"

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 वरिष्ठ नागरिकों एवं माता–पिता के संरक्षण हेतु कवच/बचाव के लिए है न कि हथियार के रूप में उपयोग में लाने हेतु बनाया गया है। अतः अधिनियम की धारा 23 के अनुसार जायदाद से बेदखल कर कब्जा सुपुर्द कराने का प्रावधान नही होने से अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अप्रार्थीपक्ष/प्रत्यर्थीपक्ष को बेदखली करने का आदेश नही दिया, वो आदेश हस्तक्षेप योग्य नही होने से अपील निरस्त की जाती है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी को प्रतिमाह भरण पोषण का आदेश देने पर भी उसको भरण पोषण राशि का भुगतान नियमित रूप से नही किया जा रहा है अतः अधीनस्थ अधिकरण को यह भी आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थीपक्ष को बकाया भरण पोषण राशि का भुगतान कराने के लिए विधिक कार्यवाही करे व अपीलार्थी को भविष्य में निर्धारित की गई भरण पोषण राशि समय पर दिलाने के लिए रेस्पोडेण्ट पक्ष/प्रत्यर्थीपक्ष को पाबंद करे। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। आदेश प्रति के साथ मूल अभिलेख संबंधित अधीनस्थ अधिकरण को सूचनार्थ एवं पालनार्थ पुनः लौटाया जावे। आदेश सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर–ग्रामीण

आदेश आज दिनांक 13.03.2024 को सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

अपील अधिकरण
(जिला मजिस्ट्रेट) जोधपुर–ग्रामीण

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.17 18:51:52 IST
Reason: SelfAttested